मामलों में सहायता करने या सलाह देने, करने के प्रयोजनार्थ उसकी बैठक या बैठकों में विशिष्ट या स्थायी आमंत्रितों के रूप में हाजिर होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी या व्यक्ति कार्यवाहियों में भाग ले सकेगा। किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

21–बैठकों की कार्यवाहियों तथा अभिलेख की अभिरक्षाः– बैठकों की कार्यवाहियों तथा अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे।

जोधपुर विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 9 के साथ पठित, धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा, प्राधिकरण के अधीन चतुर्थ श्रेणी सेवा के नियमित रूप से स्वीकृत पदों पर भर्ती, नियुक्ति करने तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

भाग प्रथम– सामान्य

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः– (1) ये विनियम जोधपुर विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2014 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2–परिभाषायेंः– इन विनियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य प्राधिकरण में सचिव या अन्य ऐसे अधिकारी से है जिसे आयुक्त द्वारा यह शक्ति प्रत्यायोजित की जाए

(ख) "सेवा" से तात्पर्य जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर चतुर्थ श्रेणी सेवा से है,

(ग) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों से संलग्न अनुसूची से है।

3–निर्वचनः– जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषायें, सेवा की सामान्य शर्तें एवं प्रकिया जहां कहीं, वह इन विनियमों में नहीं दी गई हो, तथा कमोन्नति (अपग्रेडशन) द्वारा पदोन्नति, राष्ट्रीय आपात कार्मिकों, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए रिक्तियों का आरक्षण तथा प्राधिकरण के अधीन सेवा के संविदात्मक स्वरूप एवं अवधि (टेन्योर) के संबंध में, जोधपुर विकास प्राधिकरण (कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2014 में दिए गए तद्नुरूपी प्रावधान, यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे उपान्तरणों सहित लागू होंगे जिन्हें आयुक्त निश्चित करें। इस संबंध में आयुक्त का विनिश्चिय अन्तिम होगा।

भाग द्वितीय – संवर्ग

4–सेवा की संरचना एवं पदों की संख्याः– (1) सेवा में सम्मिलित किए गए पदों का स्वरूप अनुसूची के कॉलम 2 में यथा विनिर्दिष्ट नियमित आधार पर स्वीकृत पूर्णकालिक पदों का होगा।

(2) प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या वही होगी जो समय समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित की जाए लेकिन इसमें कार्यप्रभावित (वर्क चार्ज) आकस्मिक (केंजूएल) दैनिक मजदूरी एवं फुटकर भुगतान प्राप्त कर्मचारी शामिल नहीं होंगे।

5–सेवा का गठनः– सेवा में निम्न होंगेः–

(1) सूची में विनिर्दिष्ट तथा विनियम (6) के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 96. के खण्ड ज के अधीन संवीक्षा (स्कीनिंग) के बाद उपयुक्त अभिनिर्णित किए गए पूर्णकालिक एवं नियमित रूप से स्वीकृत पदों को धारण करने वाले व्यक्ति।

(2) प्राधिकरण के गठन के बाद सेवा में पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति।

(3) इन विनियमों के अनुसार सेवा में किसी पद पर भर्ती किए गए व्यक्ति।

6–सेवा का प्रारम्भिक गठनः– (क) नगर सुधार न्यास के अधीन पूर्ण कालिक एवं विनिमित रूप से स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी सेवा के पद अर्थात् कार्य प्रभारित, आकस्मिक, दैनिक मजदूरी एवं फुटकर भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, जिसे इसमें इसके आगे "पुराना पद" वर्णित किया गया है, तथा इन विनियमों की अनुसूची में सम्मिलित किया गया कोई ऐसा पद जिसे इसमें इसके आगे "नया पद" वर्णित किया गया है, सचिव द्वारा समीकृत किए जाएंगे। इस समीकरण में यह माना जाएगा कि "नए और पुराने पदों" के वेतनमान समान है तथा उनके पद नाम एवं सामान्य कर्तव्य समान है।

(ख) न्यास के अधीन इन पदों को धारण करने वाले व्यक्ति या वे व्यक्ति जो इन पदों पर लियन रखते हों, तथा जो स्वीकृत नये पद को धारण किए हुए हैं, उनकी एक संवीक्षा समिति द्वारा जिसमें सचिव (कार्मिक) तथा ऐसा अन्य अधिकारी होगा जिसे आयुक्त द्वारा मनोनीत किया जाए, उनकी निरन्तर उपयोगिता, दक्षता एवं सत्यनिष्ठा के बारे में उनकी उपयुक्तता अभिनिर्णित कर, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 96 के खण्ड ज के अधीन संवीक्षा की जाएगी। वे व्यक्ति जिन्हें संवीक्षा समिति द्वारा उपयुक्त अभिनिर्णित नहीं किया जाता है, सरप्लस घोषित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा अभिलन (एब्जार्पशन) के लिए अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उनमें से जो व्यक्ति उपयुक्त पाये जाएंगे उन्हें उसी पद पर आमेलित एवं नियुक्त किया जाएगा जिसमें कि वे जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के गठन के पूर्व पुराने पद को धारण कर रहे थे तथा यदि वे अस्थायी, स्थापन्न या परिवीक्षा पर थे तो उन्हें उनके कोटा एवं कम के अनुसार स्थायी पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, वर्तमान में प्रभावशील विनियमों के अनुसार समीकृत पदों पर स्थायी कर दिया जाएगा।

(ग) उनके भावी पारिश्रमिक, अवधि एवं सेवा की शर्तें इसके बाद से परिवर्तित हो जाएगी तथा वे इन विनियमों तथा प्राधिकरण के अन्य विनियमों एवं आदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी। अधिनियम की धारा 96 के खण्ड ज के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति, जो संवीक्षा के बाद सेवा की नई शर्तों को स्वीकार करने के इच्छुक न हो, अपनी नियुक्ति की आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर, अपनी सेवा समाप्ति (टर्मिनेशन) या सेवा निवृति उसी प्रकार जैसे मानों वह पद समाप्त हो गया हो, नियमों के अन्तर्गत यथा स्वीकार्य सेवा समाप्ति लाभों के साथ प्राप्त कर सकेंगे यदि 30 दिनों के भीतर कोई ऐसा आवेदन–पत्र नहीं दिया जाता है, तो वह मान लिया जाएगा कि वह कर्मचारी इन विनियमों एवं सेवा की शर्तों को स्वीकार करता है।

(घ) यदि स्वीकृत नए पद उपलब्ध नहीं हो या इन विनियमों के प्रभावशील होने की तारीख को उपलब्ध नए पदों की रिक्तियों की संख्या संवीक्षा के बाद उपयुक्त अभिनिर्णित किए गए कर्मचारियों की संख्या से कम हो, तो सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को सरप्लस घोषित किया जाएगा। उन्हें सरप्लस घोषित करने के लिए यदि उनकी पारस्परिक वरिष्ठता पूर्व में निश्चित नहीं की गयी हो, तो वह सचिव (कार्मिक) द्वारा युक्ति युक्त सिद्धान्त घोषित कर विनिश्चित की जाएगी तथा उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। सेवा में पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में उपयुक्त अभिनिर्णीत किए गए कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता यदि प्राधिकरण के गठन के पूर्व घोषित कर दी गयी थी तो वह अपरिवर्तित रहेगी। यदि, अन्तिम वरिष्ठता सूची पूर्व में निश्चित नहीं की गयी हो तो उनकी वरिष्ठता इन विनियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी।

(ड) संवीक्षा के बाद अभिलन (एबजार्प्शन) के परिणामस्वरूप की गयी नियुक्ति का अन्तिम आदेश सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा।

(च) संवीक्षा के परिणाम से परिवेदित कोई भी व्यक्ति, उस अन्तिम आदेश से 30 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन एक तदर्थ पुनरावलोकन संवीक्षा समिति को दे सकता है जिसमें (1) सचिव तथा (2) निदेशक–वित्त होंगे तथा उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग तृतीय – भर्ती

7–भर्ती का तरीकाः– (1) इन विनियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भर्ती, जैसा कि अनुसूची में दिया गया है, इन विनियमों के भाग IV के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा तथा भाग IV में दिए गए अनुसार पदोन्नति द्वारा की जाएगीः

परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई रिक्ति उस पद के लिए अनुसूची में विहित तरीके द्वारा या तो योग्य या उपयुक्त अभ्यर्थियों की कमी के कारण नहीं भरी जा सकती हो, तो नियुक्ति आयुक्त की अनुमति से उसे अनुसूची में विहित वैकल्पिक तरीके द्वारा भर सकेगा।

(2) जोधपुर विकास प्राधिकरण के मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्तिः– यदि कोई कर्मचारी जिस पर ये विनियम लागू होते हैं तथा जो नियमित भर्ती के बाद प्राधिकरण के अधीन किसी पूर्ण कालिक पद को धारण कर रहा था, सेवा में रहते हुए मर जाता है, तब उसके परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक को, पूर्ण विवरण सहित आवेदन–पत्र देने पर अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता बरतते हुए किसी पद पर वर्तमान ऐसी रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा जो उस रिक्ति में तृतीय श्रेणी सेवा के पद से उच्चतर न हो, तथा जो उस समय उपलब्ध हो या भविष्य में हो सकती हो, परन्तु शर्त यह है कि वह ऐसे पद के लिए इन विनियमों में निर्धारित आधारभूत शैक्षिक अर्हतायें या उच्चतम अर्हताएं पूरी रखता हो, उच्चतम अर्हताओं के मामलों में ऐसी शैक्षिक परीक्षा में चाहे कोई भी श्रेणी (डिविजन) विहित किया गया हो, तथा यह शर्त और है कि नियुक्ति अधिकारी साक्षात्कार के द्वारा या अन्य किसी तरीके से जो उचित समझा जाए, इससे सन्तुष्ट हो जाता हो कि वह उस पर प्रत्याशित कार्य के न्यूनतम स्तर एवं दक्षता को बनाए रखने में समर्थ होगा तथा उसका चरित्र हर दृष्टि से उपयुक्त है तथा वह अन्य अभ्यार्थियों के लिए यथा अपेक्षित शारीरिक रूप से स्वस्थ है।

(3) नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति के बाद युक्तियुक्त समय के भीतर कोई प्रशिक्षण या प्रवीणता आदि प्राप्त करने के लिए, कोई भी शर्त यदि आवश्यक हो, तो विहित कर सकेगा।

(4) यह रियायत तभी उपलब्ध होगी जब उसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार, या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित किसी सांविधिक बोर्ड/संगठन/निगम आदि में पहले से नियुक्त नहीं हो।

(5) ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख को उस पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के भीतर होना चाहिए किन्तु 16 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। किन्तु ऐसे मामले में जिसमें कि उस मृत कर्मचारी की पत्नी ही उस नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त या उपयुक्त पायी गयी हो, तो उसमें कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(6) "परिवार" से इस प्रयोजन हेतु तात्पर्य मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार से है तथा इसमें पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित या वे विधवा पुत्रियां, सम्मिलित होगी जो मृत सरकारी कर्मचारी पर आश्रित थीः

(7) चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करते समय पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जायेगी।

परन्तु यह है कि यदि परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य इन विनियमों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है तो विधवा, सचिव की अनुमति से अपने किसी संबंधी को जिससे उसको सहारा देने की प्रत्याशा की जाती है, इस शर्त पर मनोनीत कर सकेगी कि वह व्यक्ति अपने वेतन में से समय समय पर अपनी मासिक परिलब्धियों का कम से कम 1/3 सीधे स्त्रोत से काटने के लिए प्राधिकरण को एक प्रति वचन देगा तथा इसके बाद वितरण अधिकारी इस प्रकार काटी गई राशि को विधवा के पास सीधे उसके जीवन पर्यन्त या उसके पुनः विवाह न करने या उसके पुत्रों में से कोई भी एक पुत्र कोई लाभप्रद रोजगार प्राप्त न कर लें, इनमें से जो भी पूर्व में हो उस तक, भेजता रहेगा।

टिप्पणीः– यदि उस परिवार के एक से ज्यादा सदस्य ऐसी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हो, तो नियुक्ति अधिकारी संपूर्ण परिवार के विशेष रूप से विधवा एवं उसके अवयस्क सदस्यों के समग्र हितों को ध्यान में रखते हुए उनके क्लेम का निश्चय कर सकेगा।

8–(1)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों का आरक्षणः– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़ा वर्ग के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट का प्रावधान होगा।

9–आयु:– अनुसूची में वर्णित पदों पर सीधी भर्ती के लिए किसी भी अभ्यर्थी की आयु आवेदन–पत्रों की प्राप्ति के लिए निश्चित की गई अन्तिम तारीख से अगले जनवरी की प्रथम तारीख को 18 वर्ष की होनी चाहिए तथा 31 वर्ष की नहीं होनी चाहिए :–

(i) परन्तु शर्त यह है:– कि ऊपर उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में विशिष्ट मामलों में नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अपने से अगले उच्चतर प्राधिकारी की अनुमति से पांच वर्ष की छूट दे सकेगा।

(ii) कि ऊपर उल्लेखित अधिकतम आयु सीमा में महिला अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं प्राधिकरण के मृत कर्मचारियों के आश्रितों तथा सरकार के अधीन प्रभावशील नियमों के अन्तर्गत यथा घोषित विकलांग व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। अन्धे एवं बधिर लोगों के लिए 10 वर्ष की तथा शारीरिक रूप से अपंग तथा वाणी से विकलांग व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(iii) कि ऊपर उल्लेखित अधिकतम आयु सीमा भूतपूर्व सेवा कर्मचारियों की तथा रिजर्विस्टों अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों की जो रिर्जव में स्थानान्तरित किये गये थे, 50 वर्ष होगी।

(iv) कि ऊपर उल्लेखित अधिकतम आयु सीमा में केडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की अवधि तक छूट दी जायेगी तथा यदि इसके परिणामस्वरूप निकाली गयी आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

(v) किसी भी कर्मचारी के लिए, जो इन विनियमों के प्रभावशील होने के दिनांक को कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर अवधि तक स्थायी या स्थायीवत् (सेमी परमानेन्ट) रूप से कार्य प्रभारित आधार पर न्यास के अधीन नियुक्त किया गया था, प्राधिकरण के अधीन किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नही होगी परन्तु शर्त यह है कि वह न्यास या सरकार के अधीन अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख को 28 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं था तथापि, वह किसी अन्य प्रकार की रियायतें, यथा विहित अर्हताओं एवं अन्य अपेक्षाओं में, पाने के लिए अधिकृत नहीं होगा। अन्य कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए जो उपरोक्त शर्तों को सिवाय इसके कि वे इन विनियमों के प्रभाव में आने के बाद नियुक्त किये गये थे, पूरा करते हैं, अधिकतम आयु सीमा शिथिल कर 45 वर्ष होगी।

टिप्पणी:– उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कुल मिलाकर दी गई छूट 45 वर्ष की आयु से अधिक की नहीं होगी।

10– **शैक्षिक अर्हतायें:–** अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होगी:–

(i) अनुसूची के कॉलम 4 में दी गई अर्हतायें; एवं

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान तथा ऐसी कोई अन्य विशिष्ट कुशलता जो किसी पद के लिए सचिव द्वारा विहित की जाये।

11–चरित्र:– सेवा में सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य बनाये। उसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, जो उसका संबंधी न हो, अपनी सच्चरित्रता का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12–शारीरिक **स्वस्थता:–** (i) सेवा में सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य तथा किसी ऐसे मानसिक एवं शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निष्पादन में व्यवधान होने की संभावना हो तथा, यदि उसका चयन हो जाता है तो उसे राजस्थान सरकार के काम काज के संबंध में नियुक्त किसी चिकित्सा अधिकारी से या किसी ऐसे अन्य चिकित्सक से जिसे सचिव मनोनीत करे, उस संबंध का एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) सचिव द्वारा उन पदों के, जो कि समान रूप से सरकार द्वारा दी राजस्थान एम्प्लायमेंट ऑफ दी फिजीकली हैण्डीकेप्ड रूल्स, 1976 के अधीन अपनी सेवाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, तद्नुरूप घोषित किए गए पदों पर सेवा में 3 प्रतिशत पदों तक विशिष्ट प्रकार के शारीरिक

विकलांग व्यक्तियों के लिए शारीरिक स्वस्थता के मानकों में छूट दी जा सकेगी। शारीरिक विकलांग (फिजीकली हैण्डीकेप्ड) की परिभाषा वहीं होगी जो सरकार द्वारा उपर्युक्त नियमों में दी गयी है तथा जो सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किये गये पहचान–पत्र को धारण करते हैं। उपर्युक्त चिकित्सीय जांच के लिए शुल्क का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी दरों पर किया जाएगा जो सरकार या आयुक्त द्वारा निर्धारित की गयी है।

भाग (iv) – सीधी भर्ती के लिए प्रकिया

13–भर्ती का स्त्रोतः– सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारी रिक्तियों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र, विभागीय वेबसाईड एवं नियमानुसार प्रकाशन के आधार पर आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

परन्तु यह कि इन रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय, नियुक्ति प्राधिकारी उस वर्ष के दौरान अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर सकेगा।

14–आवेदन–पत्रों की संवीक्षाः– नियुक्ति प्राधिकारी को रिक्तियों का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र विभागीय वेबसाईड एवं नियमानुसार प्रकाशन से प्राप्त विशेष विवरणों की तथा उसके द्वारा प्राप्त किए गए आवेदन–पत्रों की, यदि कोई हो, संवीक्षा करनी चाहिए तथा साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए तथा ऐसे शारीरिक बाधा जांच (फिजीकल आब्स्टेकल टैस्ट) एवं लिखित जांच के लिए जो सचिव द्वारा विहित की जाए, उतने ही अभ्यर्थियों को बुलाना चाहिए जितने कि इन विनियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अर्ह (योग्य) होः–

परन्तु शर्त यह है कि किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता एवं अन्यथा के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम हेागा।

15–अभ्यर्थियों का चयनः– चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाएगा जो सचिव द्वारा गठित की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें चयन समिति संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझती है। वह प्राधिकारी इन नामों को उसी योग्यता कम में व्यवस्थित करेगा तथा नियम 11 व 12 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसी कम में उनकी नियुक्ति करेगा। किसी भी अभ्यर्थी के नाम को सूची में शामिल करने से उसे नियुक्ति का अधिकार उस समय तक प्रदान नहीं किया जाता है जब तक कि नियुक्ति का प्राधिकारी, ऐसी पूछताछ के बाद जो वह आवश्यक समझे, इससे सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि वह अभ्यर्थी सभी अन्य दृष्टियों से सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

भाग (v) – पदोन्नति, वरिष्ठता एवं परिवीक्षा

16–पदोन्नति द्वारा भर्तीः– अनुसूची 1 के कॉलम 5 में वर्णित व्यक्ति, चयन के आधार पर अनुसूची 1 के कॉलम 2 में वर्णित पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे। पदोन्नतियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उनकी वरिष्ठता, स्वास्थ्य, कार्य निष्पादन, योग्यता, परिश्रम एवं दक्षता के आधार पर की जाएगी।

17–स्थापन्न नियुक्तियों की अवधिः– किसी पद पर अस्थायी रिक्ति को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी अभ्यर्थी की स्थापन्न रूप रो नियुक्ति कर तथा सीधी भर्ती के कोटा के मामले में, प्राधिकरण के अधीन कार्य प्रभारित कर्मचारियों में से किसी की आवश्यक अस्थायी नियुक्ति कर भरा जा सकेगा।

18–वरिष्ठताः– सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में वरिष्ठता किसी विशिष्ट प्रवर्ग में नियमित नियुक्ति के आदेश की तारीख द्वारा निश्चित की जाएंगीः

परन्तु शर्त यह है कि :–

(1) कि इन विनियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो पहले निश्चित की जा चुकी है तथा यदि वह पहले निश्चित नहीं की गयी है, तो वह जोधपुर विकास आयुक्त की अनुमति से उपयुक्त सिद्धान्त निर्धारित तदर्थ आधार पर सचिव द्वारा उपान्तरित या परिवर्तित की जाएगी।

(2) कि पदोन्नति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग में पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी अगले उस निचले पद में है जिससे कि पदोन्नति की गयी है तथा एक ही चयन द्वारा सीधी भर्ती के मामले में, इसमें वही कम होगा जिसमें कि उनके नाम नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में रखे गये हैं। एक ही वर्ष के भीतर पदोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों में से, पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति वरिष्ठ होंगे।

19--**पदोन्नतिः**– सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किय गये सेवा के सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि तक तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति 1 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगेः–

परन्तु यह शर्त यह है कि उनमें से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसी नियुक्ति से पूर्व सेवा में संवर्गित किसी पद पर या स्थायी या स्थायीवृत् (सेमी परमानेन्ट) कार्य प्रभारित पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न कार्य किया है या सेवा की है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसकी ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परिवीक्षा की अवधि में गिने जाने की अनुमति दी जा सकेगी।

20–**स्थायीकरणः**– परिवीक्षाधीन व्यक्ति (प्रोबेशनर) को उसकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर स्थायी किया जा सकेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी इससे सन्तुष्ट हो जाता है कि उसकी सत्य निष्ठा सन्देह से परे है तथा वह अन्यथा प्रकार से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त है।

21--**निरसन एवं व्यावृतिः**– इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों से संबंधित समस्त नियम एवं आदेश, जो इन विनियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व तक प्रभावशील थे, एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैः

परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार अतिष्ठित किये नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत दिये गये कोई भी आदेश या की गयी कार्यवाही, इन विनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन दिये गये आदेश या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी

क्र.सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती का स्त्रोत	सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए अर्हतायें	पद जिससे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी हैं	पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव एवं अर्हताएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
			कार्यालय कार्य के लिए			
1.	(क) जमादार	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा		1. चपरासी 2. साईकिल सवार 3. अर्दली 4. वाटरमैंन 5. चौकीदार 6. फर्राश		
	(ख) दफ्तरी	उपर्युक्त		उपर्युक्त	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	
	(ग) रिकार्ड लिफ्टर	उपर्युक्त		उपर्युक्त		
2.	1. चपरासी 2. साईकिल सवार 3. अर्दली 4. वाटरमैंन 5. चौकीदार 6. फर्राश	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	–	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	

टिप्पणी :– कोई भी अन्यय पद जिसका वेतनमान समान हो तथा कर्त्तव्य एक जैसे हों, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रवर्गो के साथ समीकृत किये जा सकेगें।

क्र. सं.	पद का नाम	प्रतिशत सहित भर्ती का स्त्रोत	सीधी भर्ती या पदोन्नति के लिए अर्हतायें	पद जिससे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी हैं	पदोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव एवं अर्हताएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
		अर्द्धकुशल या प्रक्षेत्र कार्यों (फील्ड जाब्स) के लिए				
आटोमोबाइल्स						
1.	यांत्रिक ग्रेड– II	50 प्रतिशत पदोन्नति 50 प्रतिशत सीधी भर्ती	आई.टी.आई. का प्रमाण–पत्र दो वर्ष के ओटोमोबाइल्स लाईन के अनुभव सहित	हैल्पर	मैकेनिक के हैल्पर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव, आटो–मोबाईल्स लाईन में ज्ञान, जिसे ट्रेड टेस्ट द्वारा जांचा जायेगा।	
2.	क्लीनर	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कार्य (जाब) में 3 वर्ष का अनुभव			
3.	फैरोमैंन	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कार्य (जाब) में 3 वर्ष का अनुभव			
4.	चैनमैंन	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कार्य (जाब) में 3 वर्ष का अनुभव			

जोधपुर विकास प्राधिकरण (कर्मचारी आचरण) विनियम, 2014

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 92 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, इसके द्वारा निम्नलिखित विनिमय बनाता है, अर्थात्:–

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार और लागू होना:– (1) इन विनियमों का नाम जोधपुर विकास प्राधिकरण (कर्मचारी आचरण) विनियम, 2014 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(3) इन विनियमों द्वारा या इनमें यथा उपबन्धित के सिवाय ये विनियम प्राधिकरण की सेवा में या उसके कार्यकलापों के संबंध में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे:

परन्तु जब प्राधिकरण का कोई कर्मचारी किसी अन्य उपकम या राज्य/केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाये तो वह प्रतिनियुक्ति की कालावधि के दौरान, उस कालावधि तक इन नियमों का अपवर्जन करते हुए प्रतिग्रहणकर्ता संगठन के आचरण नियमों/विनियमों द्वारा शासित होगा:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण, सामान्य या विशेष आदेश से, किसी विशिष्ठ वर्गीकरण से संबंधित प्राधिकरण कर्मचारियों पर, संपूर्ण विनियमों या उनके किसी भाग के लागू होने से छूट दे सकेगा।